न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम 2, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विकाससिंह चौधरी, आर.जे.एस

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र सी.आई. एस. संख्या 217/2026

1–अजहरूद्दीन उर्फ अज्जू पुत्र मुन्ना, उम्र–28 वर्ष, निवासी कुचील पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर हाल बन्दी केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर –– अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
प्रथमसूचना रिपोर्ट संख्या 312/2025 पुलिस थाना पुष्कर
अपराध अंतर्गत धारा 189(2),126(2),115(2),304(2),
352,110 बी.एन.एस. 2023

उपस्थित

1– श्री भंवरसिंह गौड, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– श्री अशोक अग्रवाल, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3– श्रीमती खुशबू पाराशर, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

आदेश दिनांक 13–3–2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त अजहरूद्दीन की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर जिला अजमेर के समक्ष दिनांक 24–02–2026 को प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. बाद सुनवाई अस्वीकार कर खारिज किया गया । इसके उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलवाई गई । उक्त जमानत आवेदन पत्र अंतरित किया जाकर सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2– बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण मे झूंठा लिप्त किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अन्य सह अभियुक्त के जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है जिससे प्रार्थी का मामला भिन्न नहीं रहा है। प्रार्थी से अब कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण मे समय लगने की संभावना है । उनका यह भी कथन रहा है कि प्रार्थी व आहत के मध्य राजीनामा हो चुका हैं। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। अंत में जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

3– अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

4– उभय पक्षों के तर्को पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया । प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी हेमेन्द्रसिंह ने दिनांक 18–10–2025 को पुलिस थाना पुष्कर पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि कल दिनांक 17–10–25 को रात करीब 10 बजे वह तथा उसके साथ टोनू, जयसिंह व बबूल, जयसिंह की दुकान से अपने घर जा रहे थे तो पुलिया के पास दो स्कार्पियो जिसमे से एक के नम्बर आर.जे. 01 यू बी 5288 थे, का चालक स्टण्ड कर रहा था, तो उन्होने कहा कि गाडी सही चलाओं, तो वे लोग गाली गलोच करने लगे जिस पर वे लोग शिव महिमा रेस्टोरेंट के पास स्पा के पास चले

गये, जब वे बाते करते हुए स्पा पर गये तो वहां पर स्पा करने वाले राकेश, सेठी व 5–6 आदमी स्कार्पियो वाले जिनमे दीपक व उसके आदमी थे, उन लोगो ने डंडो व सरियो से व चाकू ने हमला कर दिया, तब वह, बबलू व टोनू भागकर गये । जयसिंह को घेर कर जान से मारने की नियत से डंडो व सरियो से मारपीट की व चांदी का बासलेट, चैन व अंगुठी छीन ली व अदमरा कर छोड दिया। फिर वे जयसिंह को अस्पताल ले गये, आदि उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्धारा मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरंभ किया गया व प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

5– पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व मे निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे है।

क्रम सं.	मुकदमा संख्या	धारा	थाना	विवरण
1	283/23	3/25 आर्म्स एक्ट	रामगंज	लंबित न्यायालय
2	159/25	3/25 आर्म्सएक्ट	गांधीनगर	अनुसंधान लंबित
3	141/25	3/25 आर्म्सएक्ट	पुष्कर	अनुसंधान लंबित

6– केस डायरी के अवलोकन से जाहिर आता है कि अभियुक्त ने यह अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत के साथ मारपीट की वचैन व अंगूठी व ब्रेसलेट आदि लूटकर ले गये। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यहभी जाहिर आता है कि सह अभियुक्त दीपेन्द्र के विरूद्ध पूर्व मे 13 प्रकरण दर्ज रहे है, जो मारपीट के रहे है। प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध भी तीन प्रकरण आर्म्स एक्ट के रहे हैं। ऐसा प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्त आदतन अपराधी रहे है। जहां तक राजीनामा होने संबंधी तर्क का प्रश्न है तो प्रथम तो राजीनामा जमानत आवेदन के प्रक्रम पर विचार मे लिये जाने योग्य नहीं होता है द्धितीय राजीनामा करने हेतु आहत जयसिंह पर दबाब नहीं डाला गया हो या धमकी नहीं दी गयी हो इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता क्योकि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व मे विभिन्न आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध रहे है। प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध धारा 189(2), 126(2), 115(2), 304(2), 352, 110 बी.एन.एस. के अपराधो के आरोप है जो गम्भीर प्रकृति के रहे है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7– फलतः प्रार्थी/ अभियुक्त अजहरूद्धीन उर्फ अज्जू पुत्र मुन्ना की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर

8– आदेश आज दिनांक 13–3–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर